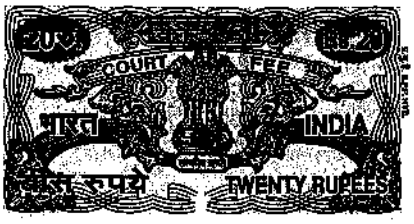

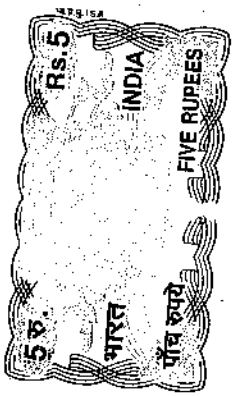

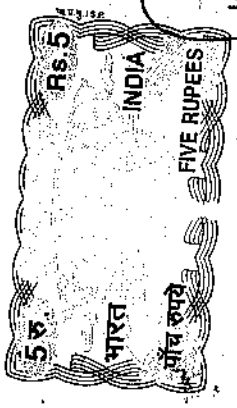

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक /२०१६ पुनरीक्षण निग-1483-I/16

१. विष्णु कुमार शर्मा पुत्र श्रीधर शर्मा
२. सुरेश कुमार शर्मा पुत्र श्रीधर शर्मा
३. नरेश कुमार शर्मा पुत्र श्रीधर शर्मा
निवासी ग्राम -बिरखडी तहसील-गोहद
जिला- भिण्ड मध्यप्रदेश -- आवेदकगण

विरूद्ध

रामेश्वरदयाल पुत्र जगन्नाथ ब्राम्हण
निवासी ग्राम- बिरखडी, तहसील-गोहद
जिला- भिण्ड मध्यप्रदेश - अनावेदक

अनुविभागीय अधिकारी गोहद द्वारा प्रकरण क्रमांक ५०/२०१५-१६ अपील में पारित आदेश दिनांक ३-५-२०१६ के विरूद्ध पुनरीक्षण अन्तर्गत धारा- ५० मध्यप्रदेश भू- राजस्व संहिता १९५९.

16.5.16
Rs 50

(2)

राजस्व मण्डल म0प्र0 ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी 1483–एक/16 जिला– भिण्ड

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभषक आदि के हस्ताक्षर
19–5.16	आवेदक के अधिवक्ता श्री एस0 के0 वाजपेयी उपस्थित होकर स्थगन आवेदन पत्र प्रस्तुत किया। आवेदक अधिवक्ता को प्रकरण की ग्राह्यता एवं स्थगन के बिन्दु पर तर्क सुने । 2– आवेदक अधिवक्ता का तर्क है कि तहसीलदार के आदेश के विरूद्ध अनुविभागीय अधिकारी के न्यायालय में स्थगन हेतु आवेदन प्रस्तुत किया था जो उनके द्वारा निरस्त किया गया है। आवेदक अधिवक्ता का यह भी कहना है कि आवेदक ने अपनी भूमि पर स्वत्व घोषणा हेतु वाद प्रस्तुत किया था जिसे स्वीकार करते हुये आवेदक को वैद्य आधिपत्य धारी माना गया है। आवेदक ने भूमि सर्वे क्रमांक 401 को उसके भूमि स्वामी से पूर्ण प्रतिफल देकर क्रय किया था आवेदक उक्त भूखण्ड का सदभाविक केता है। तहसीलदार के उक्त आदेश के विरूद्ध आवेदक द्वारा प्रथम अपील प्रस्तुत की गई है जिसमें स्थगन आवेदन के साथ दस्तावेज भी प्रस्तुत किये गये थे अनुविभागीय अधिकारी द्वारा उन पर विचार न करते हुये बिना कोई कारण दर्शाये स्थगन आवेदन निरस्त करने में त्रुटि की गई है । प्रथम अपील के निराकरण तक विचारण न्यायालय के आदेश को रोका जाना आवश्यक है जिससे आवेदक को न्याय	

(3)

नि/1483–I/2016

प्राप्त हो सके। आवेदक अधिवक्ता के तर्को पर विचार किया तथा उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख से स्पष्ट है कि अनुविभागीय अधिकारी गोहद द्वारा स्थगन आवेदन निरस्त करने हेतु कोई कारण नहीं दर्शाया गया है जब प्रकरण सुनवाई हेतु उनके द्वारा ग्राह्य किया गया था तब ऐसी स्थिति में प्रथम दृष्ट्या प्रकरण आवेदक के पक्ष में होने से स्थगन दिया जाना उचित एवं न्यायोचित होता है। इस बिन्दु पर अनुविभागीय अधिकारी द्वारा ध्यान नहीं दिया गया है। ऐसी स्थिति में अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष आवेदक द्वारा प्रस्तुत अपील के निराकरण तक तहसील न्यायालय द्वारा प्रकरण क्रमांक 63/2013–14/बी–121 में पारित आदेश दिनांक 13.4.2016 का क्रियान्वयन स्थगित किया जाता है तथा अनुविभागीय अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि वह अपील न्यायालय में लंबित अपील का तीन माह में आवश्यक रूप से निराकरण करें। इन निर्देश के साथ यह प्रकरण इसी स्तर पर समाप्त किया जाता है।

सदस्य